

13/12/19

पगावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता अंकुश
वादी पक्ष को किन्ती ही मर्गिआ आवाने
लगाये जाने के उपरान्त की वादी स्वपै
अववा उनके कोई वध प्रतिनिधि वाक्के पेशकी
हाजिर नही आयी। ऐसी स्थिति में
वादी का वाक्फा वादी पक्ष की अडम
हाजरी, अडम पेशकी में खारिज किये
जाने की आज्ञा पारिस की जाती है।
पगावली गम्हार दी कम की आज्ञा
कारिखत दफ्तार ही।

सपखण्ड अधिकारी
कलियाकला (भीलवाडा) राज.